

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

// सूचना //

भोपाल दिनांक 24-2-18

क्रमांक—एफ—3—95 / 2015 / 18—5 :: एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत हरदा निवेश क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना 2021 में राज्य शासन द्वारा निमानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया गया है। अतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा—19 उपधारा—2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण सूचना के माध्यम से दिनांक 24/02/2018 को प्रकाशित किया जा रहा है। उपांतरणों का विस्तृत विवरण बेबसाईट www.mptownplan.nic.in पर उपलब्ध है तथा जिसका निम्नलिखित कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस तक की कालावधि में निरीक्षण किया जा सकेगा —

- (1) अवर सचिव, मध्यप्रदेश, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
- (2) उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय होशंगाबाद।

2/ प्रारूप विकास योजना हरदा 2021 की पुस्तिका में कंडिका 4.7.1 तथा कंडिका 4.24 में में टंकन त्रुटियों में सुधार किया जाना प्रस्तावित है।

3/ उपांतरण का विवरण:—

हरदा विकास योजना 2021 के रंगीन मानचित्र क्रमांक 2.3, कंडिका 4.20(स) का द्वितीय पैरा एवं कंडिका 4.24 की सारणी 4—सा—19 के अनुक्रमांक 4 एवं 8 में उपांतरण प्रस्तावित है।

4/ प्रस्ताव का विस्तृत विवरण www.mptownplan.nic.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

5/ उक्त उपांतरण विवरण के संबंध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के कार्यालय में लिखित रूप से सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। समयावधि में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत लिया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(सी.के.सार्दार)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

24/02/2018
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय भोपाल

//सूचना//

भोपाल दिनांक 24/2/2018

क्रमांक एफ-3-95/15/18-5 :: एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन 1973) की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन आयुक्त सह-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत हरदा निवेश क्षेत्र के लिये प्रारूप विकास योजना 2031 से राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया है। अतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण प्रकाशित किया जा रहा है उपांतरणों का विस्तृत विवरण वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर उपलब्ध है तथा निम्नलिखित कार्यालयों में, कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर, सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस तक की कालावधि में निरीक्षण किया जा सकेगा।

- 1 अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
- 2 उप-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कोठी बाजार होशंगाबाद

अधिसूचना में वर्णित प्रस्ताव

(अ). प्रारूप विकास योजना हरदा 2031 की पुस्तिका में कतिपय स्थानों पर टंकण /मुद्रण त्रुटिया परीलक्षित हुई हैं, जिन्हें अंतिम विकास योजना की पुस्तिका में सुधार किया जाना आवश्यक है। ये टंकण/मुद्रण त्रुटिया निम्नानुसार है :-

1. हरदा विकास योजना (प्रारूप) 2031 की कंडिका 4.7.1 में भू-खंडीय ले-आऊट में "न्यूनतम भूमि आकार 0.4 हेक्टर" के स्थान पर "न्यूनतम भूमि का आकार 2.00 हेक्टर" पढ़ा जावे।
2. विकास योजना की कंडिका 4.24 में "सिंगरोली उपयोग परिक्षेत्रों में अनुमति" के स्थान पर "हरदा उपयोग परिक्षेत्रों में अनुमति" पढ़ा जावे।

(ब). भूमि उपयोग में प्रस्तावित उपांतरण :-

1. हरदा विकास योजना 2031 के रंगीन मानचित्र 2.3 में रेल्वे बाऊड़ी से (हरदा से इटारसी) लगकर "कृषि उपयोग" के स्थान पर "वृक्षारोपण उपयोग" प्रस्तावित किया गया।
2. हरदा विकास योजना के रंगीन मानचित्र 2.3 में अजनाल नदी /टिमरन नदी के किनारे दक्षिण दिशा में दर्शित "कृषि उपयोग" के स्थान पर वृक्षारोपण उपयोग दर्शित किया जाना प्रस्तावित है।

6.

3. ग्राम वैरागढ, दुधकच्छ खुर्द, कोटल्या खेडी, खेडी मेहमूदाबाद, नाहल खेडा, विरजा खेडी तथा रुपी परेटिया, मे बाढ प्रभावित क्षेत्र का अंकन किया गया है।
4. हरदा विकास योजना के रंगीन मानचित्र 2.3 मे ग्राम दुधकच्छ की भूमि पर "सार्वजनिक एवं अर्थ सार्वजनिक उपयोग" के स्थान पर "वृक्षारोपण, कृषि, एवं झूब क्षेत्र" दर्शित किया गया है।

(स). हरदा विकास योजना 2031 में अन्य प्रस्तावित उपांतरण :-

1. कंडिका 4.20 (स) का द्वितीय पैरा "बायपास मार्ग के दोनो ओर 200-200 मीटर तक स्वीकार्य गतिविधियां" को विलोपित कर निम्नानुसार पैरा प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-

बायपास मार्ग के दोनो ओर कृषि भूउपयोग में 200-200 मीटर तक स्वीकार्य गतिविधियां:-

1. ईंधन भराव केन्द्र/सर्विस स्टेशन
2. मोटल
3. रिसोर्ट
4. होटल/टूरिज्म लॉज/रेस्ट हाऊस
5. बस स्टैण्ड /पिकअप स्टेशन/टेक्सी स्टैण्ड
6. फाबा/रेस्टोरेंट
7. पुलिस स्टेशन/पुलिस चौकी
8. नाका/धर्मकांटा/वे-ब्रिज
9. भवन सामग्री स्थल
10. कोयला भण्डारण
11. दूर संचार केन्द्र/एस.टी.डी.-पी.सी.ओ./ साइबर कैफे
12. स्वास्थ्य केन्द्र/क्लीनिक
13. यात्रियो के लिये अधोसंरचना सुविधा/एम्यूजमेंट पार्क
14. शासकीय अर्द्धशासकीय कार्यालय
15. भौतिक अधोसंरचना सुविधा जैसे- जल मल निकास, जल प्रदाय विधुत व्यवस्था, मार्ग इत्यादि।
16. बैंक/ए.टी.एम./ पोस्ट ऑफिस,
17. ट्रक टर्मिनल/कंटेनर डिपो
18. धर्मशाला
19. पार्किंग
20. अग्निशमन केन्द्र
21. सूचना एवं प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर इकाईयां

नोट :- बायपास मार्ग की चौड़ाई के संबंध में भारत सरकार, परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी मापदंड लागू होंगे। बायपास मार्ग पर अन्य भू-उपयोगों में सारणी 4-सा-19 में उल्लेखित उपयोग परिसर ही स्वीकार्य होंगे।

2. कंडिका 4.24 सारणी 4-सा-19 अनुक्रमांक 4 एवं 8 के अंत में निम्नानुसार स्वीकृत उपयोग परिसर अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-

अनुक्रमांक	उपयोग श्रेणियां	स्वीकृत उपयोग परिसर
4	सार्वजनिक अर्धसार्वजनिक	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग** एवं सम्मेलन केन्द्र (कन्वेशन सेंटर)
8	कृषि	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा***

- i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है म.प्र. शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें।
- ii ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।
- iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) के अनुसार।

टीप :- उपरोक्त i एवं ii के भूखंड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी।

एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि, उपरोक्त प्रस्तावित उपांतरणों के संबंध में यदि कोई आपत्ति / सुझाव हो, तो अवर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास, मंत्रालय, भोपाल को / मेरे लिखित से सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सी.के.सार्दार)

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 (2) के अन्तर्गत प्रस्तावित उपान्तरण :-

- 1 ऐल्वे बाऊन्डी से लगकर "कृषि उपयोग" के स्थान पर "वृक्षारोपण उपयोग"।
- 2 अजनाल नदी/टिमरन नदी के किनारे दक्षिण दिशा में दर्शित "कृषि उपयोग" के स्थान पर "वृक्षारोपण उपयोग"।
- 3 ग्राम बैरागढ़, दुधकच्छ खुर्द, कोटल्या खेड़ी, खेड़ी मेहमदाबाद, नाहल खेड़ा, बिरजा खेड़ी तथा रुपी परेटिया, जिनमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र।
- 4 ग्राम दुधकच्छ की भूमि पर "सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग" के स्थान पर "वृक्षारोपण, कृषि एवं डूब क्षेत्र"।



HARDA
2.3 DEVELOPMENT PLAN
(DRAFT) 2031

हरदा
2.3 विकास योजना
(प्रारूप) 2031

संकेत
EXISTING PROPOSED
वर्तमान प्रस्तावित

RESIDENTIAL	आवासीय
COMMERCIAL	वाणिज्यिक
GENERAL	मण्डी
MANDI	मण्डी
TRANSPORT NAGAR	यातायात नगर
INDUSTRIAL	औद्योगिक
PUBLIC & SEMIPUBLIC	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक
PUBLIC UTILITIES & FACILITIES	सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं
ROADS	मार्ग
BUS STAND	बस स्थानक
RAILWAY STATION	रेलवे स्टेशन
RAILWAY LINE	रेलवे लाईन
RECREATIONAL	आमोद प्रमोद
STADIUM	स्टेडियम
AGRICULTURE	कृषि
AFFORESTATION	वृक्षारोपण
RIVER\ DRAINAGE	नदी/चाले
FLOOD AFFECTED AREA	बाढ़ प्रभावित क्षेत्र
PLANNING AREA	निवेश क्षेत्र
VILLAGE AREA	ग्राम क्षेत्र
MUNICIPAL AREA	नगरपालिका क्षेत्र

